62

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

पंजीकृत

सेवा में,

प्रधानाचार्य/आहरण–वितरण अधिकारी,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 4609-19 /डीटीईयू/0202 /भवन 4216/2014–15/ 21 दिनांक: अगस्त, 2014

विषय : **वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत् पक्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिखणीखाल (गढ़वाल) के भवन निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0– **247/XLI-1 /2014–709 (प्रशि0)/04, दिनांक: 09 जुलाई, 2014** के द्वारा **वित्तीय वर्ष 2014–15**, अनुदान संख्या–16, मुख्य लेखाशीर्षक: 4216– आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 001– निदेशन तथा प्रशासन, 07– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–00, **आयोजनागत्** के अन्तर्गत मानक मद 24–वृहत् निर्माण कार्य के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **रिखणीखाल (गढ़वाल)** के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित आंगणन **रू0 11557 हजार (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख सत्तावन हजार मात्र)** के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों द्वारा **रू0 8000 हजार (रू0 अस्सी लाख मात्र)** की धनराशि को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु अन्तिम किस्त के रूप में अवशेष धनराशि **रू0 3557 हजार** (रू0 पैंतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति धनराशि **रू0 3557 हजार** (रू0 पैंतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) का बजट आवंटन शासनादेश में निहित प्रतिबन्धों एवम् निर्देशों के अधीन निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

अनुदान संख्या– 16 **आयोजनागत् (PLAN)** **वित्तीय वर्ष: 2014–2015**

लेखाशीर्षक: 4216– आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80– सामान्य, 001– निदेशन तथा प्रशासन, 07– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–00–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि हजार रू0 में)

कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	पूर्व में आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आवंटित की जा रही धनराशि
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **रिखणीखाल (गढ़वाल)** के भवन निर्माण हेतु	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर (गढ़वाल)	11557	8000	3557
योग :–		**11557**	**8000**	**3557**

(रूपये पैंतीस लाख सत्तावन हजार मात्र)

1. स्वीकृति धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित परिव्यय कि सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन अनिवार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदाापि न किया जाय साथ ही उक्त उल्लिखित पूर्व शासनादेश में निर्धारित प्रतिबन्ध एवं शर्तो का पूर्णतया पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

5. वित्त विभाग के शासनदेश संख्या– 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्तान्तरित कराया जाना अवश्यक सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV/–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. शेष शासनादेश संख्या 1969/VIII/06–709–प्रशि0/2004, दिनांक 05–03–2007 जुलाई 2006 तथा शासनादेश संख्या 370/XLI-II/11–709–प्रशि0/2004, दिनाक 23 दिसम्बर 2011 में वर्णित शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

11. इस समबन्ध होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या – 16, मुख्य लेखाशीर्षक 4216– आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80– सामान्य, आयोजनागत– 001– निदेशन तथा प्रशासन, 07– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण, के सुसंगत मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,

पृष्ठांकन संख्याः 4609-19 :/डीटीईयू/0202/भवन 4216/2014–15 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रीनगर।
5. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम श्रीनगर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिखणीखाल (गढ़वाल)।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल, प्रशिक्षण अनुभाग(लेखा), निदेशालय, हल्द्वानी।

(बीरेन्द्र कुमार)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Training (4635)

आवंटन पत्र संख्या - 00/08/2014

अनुदान संख्या - 016

अनोटमेंट आई डी - H1408161139

आवंटन पत्र दिनांक -07-Aug-2014

DDO Name - Principal Government ITISrinagar (4634) . Treasury - Srinagar (4201)

लेखा शीर्षक	4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय	80 - सामान्य
	001 - निदेशन तथा प्रशासन	
	00 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	07 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	3557000	3557000
	0	3557000	3557000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 3557000

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)